क्रमांक 32/198/83–4 जी0 एस0–I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार।

आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, हरियाणा, उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा।

रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़।

दिनांक 16 अगस्त, 1983

विषय:– 50/55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखना—55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में वृद्धि देने की पद्धति में परिवर्तन करना।

श्रीमान जी,

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 3556–4 जी0 एस0 I–75, दिनांक 30–6–75 तथा पत्र क्र: 3575–4 जी0 एस0 –I–75/24237, दिनांक 9–8–1975 की ओर दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र दिनांक 30–6–75 के साथ संलंगित प्रोफार्मा की मद 10 अनुसार यह जानकारी देनी होती है कि क्या अधिकारी की 50 प्रतिशत गोपनीय रिपोर्टस अच्छी है।

2. अब सरकार ने मामले पर पुनर्विचार करके यह निर्णय लिया है कि 55 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवा वृद्धि उसी सूरत में दी जाये जब कि उनकी अन्तिम 10 वर्ष की गोपनीय रिपोर्टस में से 70 प्रतिशत या इन से अधिक का वर्गीकरण अच्छा या बेहतर हो। तदनुसार संशोधित प्रोफार्मा नत्थी किया जाता है।

3. राजपत्रित अधिकारियों को 50 वर्ष की आयु के बाद सेवा वृद्धि देने हेतु मामला विचार करते समय पहले की भान्ति ही अन्तिम 10 वर्ष की रिपोर्टस का 50 प्रतिशत अच्छा या बेहतर होना जरुरी है। "ऐवरेज रिपोर्टों" को अधिकारी को सूचित किया जावे और यदि कोई प्रतिवेदन, ऐसी रिपोर्ट के विरुद्ध 6 महीने के अन्दर आवे तो उस का फैसला किया जाये।

4. कृपया इन हिदायतों के अनुसार भविष्य में कार्यवाही की जाये तथा इन को सभी संबन्धित के नोटिस में ला दिया जाए।

भवदीय

हस्त/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति सभी वित्तायुक्तों तथा प्रशासनिक सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है। वे कृपया इन हिदायतों को अपने अधीन सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला दें।

हस्त/-

[अवर सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव हरियाणा, सरकार।